संख्या : 89/2015/1602/छप्पन-2015-93/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2015**

विषय :वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुपूरक अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलॉटमेन्ट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 618/ना0उ0नि0/लेखा/2015, दिनांक 26.10.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के लेखा शीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05 नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-25-लघु निर्माण कार्य मद में उपलब्ध धनराशि रूपये 1,00,000-00 (रूपये एक लाख मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या- 2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्रस्तर-3 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करके किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 - 89/2015/1602(1)/छप्पन-15-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
2- **महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।**
3- **कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
4- **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7**
5- **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**
6- **नियोजन अनुभाग-4**
7- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in